

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : ओ.पी. बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 05/2016 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)

GCMS NO : 2016/00025

अनवान

1. श्री भंवर लाल पिता श्री धुल जी सेवक, निवासी सुरखण्ड का खेड़ा, तहसील सेमारी, जिला उदयपुर
2. श्री तुलसीराम पिता श्री धुल जी सेवक, निवासी सुरखण्ड का खेड़ा, तहसील सेमारी, जिला उदयपुर
3. श्री केशवलाल पिता श्री धुल जी सेवक, निवासी सुरखण्ड का खेड़ा, तहसील सेमारी, जिला उदयपुर
4. श्रीमती मणी बाई बेवा नारायण जी सेवक, निवासी सुरखण्ड का खेड़ा, तहसील सेमारी, जिला उदयपुर
5. श्री दिनेश पिता नारायण जी सेवक, निवासी सुरखण्ड का खेड़ा, तहसील सेमारी, जिला उदयपुर
6. श्री कान्तिलाल पिता नारायण जी सेवक, निवासी सुरखण्ड का खेड़ा, तहसील सेमारी, जिला उदयपुर
7. श्री प्रकाश पिता नारायण जी सेवक, निवासी सुरखण्ड का खेड़ा, तहसील सेमारी, जिला उदयपुर
8. श्री जगदीश पिता नारायण जी सेवक, निवासी सुरखण्ड का खेड़ा, तहसील सेमारी, जिला उदयपुर

– प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री शंकर लाल पिता श्री वालतराम जी सेवक, निवासी सुरखण्ड का खेड़ा, तहसील सेमारी, जिला उदयपुर
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सेमारी, जिला उदयपुर

–विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री आलोक कुमार जैन, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री संजय बोहरा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1
3. श्री कल्पित जैन, राजकीय अधिवक्ता

प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970
बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

*** निर्णय ***

दिनांक 11-11-2020

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया कि मौजा सुरखण्ड का खेड़ा, तहसील सेमारी की साबिक आराजी संख्या 796/1 में रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा भूमि जिसके



हाल आराजी नंबर 2094 रकबा 0.0900 हेक्टेयर व आराजी नंबर 2096 रकबा 0.1100 हेक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थीगण के पिता धुलजी व नारायण जी एवं अन्य सहखातेदार जो कि जमाबन्दी सवत् 2029-2032 में दर्ज है के नाम थी। सेटलमेन्ट के बाद सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा तथाकथित भूमि के हाल आराजी नंबर 2094 व 2096 को बिलानाम सरकार दर्ज कर दिया। उक्त भूमि पर प्रार्थीगणों के पिता व उनके फोट होने के पश्चात् प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि प्रार्थीगणों की खातेदारी की भूमि है, परन्तु राजस्व रेकर्ड के बिलानाम दर्ज हो जाने से विपक्षी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि के हाल आराजी नंबर 2096 रकबा 0.1100 हेक्टेयर भूमि पटवार हल्का से मिलीभगत कर सन् 2002 में भूमि स्वयं के नाम आवंटित करवा ली। इस संबंध में कभी कोई उद्घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ, न ही उद्घोषणा पत्र की तामिल धारा 61, राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत की गई। आवंटन में आवंटन नियम 4 व 5 की पालना नहीं की गई, न ही ओक्यूपाईड व अनओक्यूपाईड भूमि की कोई सूची तैयार की गई। उक्त भूमि को भारी लागत लगा कर प्रार्थीगण द्वारा आबादान किया गया है एवं सेटलमेन्ट विभाग की गलती से भूमि बिलानाम सरकार दर्ज हुई है। वक्त आवंटन कोरम अपूर्ण था एवं आवंटन उपरान्त आवंटन शर्तों की पालना भी विपक्षी संख्या 1 द्वारा नहीं की गई है। इस प्रकार विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में किया गया आवंटन धोखे एवं मिसरिप्रजेन्टेशन से होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य होने से उक्त आवंटन निरस्त किया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी संख्या 1 की ओर से श्री संजय बोहरा अधिवक्ता द्वारा वकालात पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में जवाब पेश किया कि राजस्व ग्राम सुरखण्ड का खेड़ा की हाल आराजी संख्या 2096 रकबा 0.1100 हेक्टेयर कृषि भूमि विपक्षी संख्या 1 को वर्ष 2002 में आवंटित की गई है। प्रार्थीगण को उक्त भूमि से कोई संबंध नहीं है, न ही उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कभी कब्जा काश्त रहा है। सेटलमेन्ट वर्ष 1984 हुआ है अर्थात् 32 वर्षों तक यह भूमि बिलानाम सरकार दर्ज रही है। यदि प्रार्थीगण का इस भूमि से कोई संबंध होता तो वह अवश्य ही घोषणा का वाद पेश कर सकते थे। कथित भूमि के आवंटन से पूर्व विधिवत उद्घोषणा पत्र जारी हुआ है एवं नियमानुसार ही भूमि विपक्षी संख्या 1 को आवंटित हुई है। प्रार्थीगण भूमिहीन काश्तकार नहीं है। आवंटन के पश्चात् आवंटन शर्तों की पालना करने से विपक्षी संख्या 1 को उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये है। उक्त आवंटन से पूर्व नियमानुसार ओक्यूपाईड एवं अनओक्यूपाईड भूमि की सूची तैयार की गई एवं नियमानुसार उद्घोषणा पत्र जारी किया गया। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा नियमानुसार भूमि का आवंटन विपक्षी संख्या 1 को किये जाने की अनुशंसा की गई है। यदि प्रार्थीगण की कोई भूमि बिलानाम दर्ज हो गई तो उसके लिए प्रार्थीगण को सक्षम न्यायालय में चाराचोही करनी चाहिये थी। विपक्षी संख्या 1 को आवंटित भूमि पर वह काबिज हो निरन्तर काश्त करते चले आ रही है एवं आवंटन शर्तों की पूर्णतया पालना करने के फलस्वरूप ही विपक्षी संख्या 1 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवंटन निरस्त का उक्त प्रार्थना पत्र विपक्षी संख्या 1 को खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो जाने के लगभग 12 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत किया

गया है जो सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार सेमारी, जिला उदयपुर से विवादित आराजीयात पर वर्तमान में किसका कब्जा है तथा कौन काश्त कर रहा है आदि के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार सेमारी, जिला उदयपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 632 दिनांक 21.07.2018 से प्रकरण में प्रेषित मौका रिपोर्ट में न्यायालय को अवगत कराया कि मौजा सुरखण्ड का खेडा की विवादित हाल आराजी संख्या 2096 रकबा 0.1100 हेक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में विपक्षी संख्या 1 श्री शंकर लाल पिता वालतराम सेवक के नाम खातेदारी हक से दर्ज है। आराजी संख्या 2096 रकबा 0.1100 हेक्टेयर एवं आराजी संख्या 2097 रकबा 0.1300 हेक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.2400 हेक्टेयर भूमि के चारों ओर पत्थरों का कच्चा कोट लगभग 2 वर्ष पुराना बना हुआ है। वर्तमान में आराजी संख्या 2096 एवं 2097 एक चक में स्थित होकर श्री दिनेश कान्तिलाल प्रकाश जगदीश पिता नारायण, मणी देवी पत्नि नारायण, भंवरलाल तुलसीराम केशवलाल पिता धुलजी सेवक का सयुक्त रूप से कब्जा है। तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर से आवंटन से सम्बन्धित मूल पत्रावली संख्या 302/2002 तलब की जाकर मामले में बहस हेतु तिथि नियत की गयी।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक उपस्थित हुए। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा बहस में भाग लेते हुये अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं साबिक आराजी संख्या 796/1 प्रार्थीगण के पिता की खातेदारी में सवत् 2029-2032 में होना, सेटलमेन्ट के बाद श्री महादेव जी चारभुजा जी स्थान देह के नाम दर्ज होना, सवत् 2042 में बिलानाम दर्ज होना एवं वर्ष 2002 में प्रशासन गांवों के संग अभियान में विपक्षी संख्या 1 को नियम विरुद्ध आवंटित होना, आवंटन के पूर्व विधिवत उद्घोषणा जारी न होना, आवंटन में नियम 4 व 5 की पालना न होना एवं वर्ष 2005 में विधि विरुद्ध खातेदारी अधिकार दिया जाना, वर्तमान में मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा होना अवगत कराया एवं विधि विरुद्ध किये गये ऐसे आवंटन को निरस्त करने की मांग की। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया कि प्रश्नगत भूमि मंदिर की खातेदारी में दर्ज थी एवं यह भूमि मंदिर माफी भूमि थी एवं देवता शाश्वत नाबालिग हो काश्त करने में असमर्थ है एवं ऐसी भूमि के खातेदारी अधिकार अन्य किसी भी व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं किये जा सकते हैं। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये:-

- आर.आर.टी. 2012(1) पृष्ठ 410
- आर.आर.टी. 2011(1) पृष्ठ 9

विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता ने बहस में भाग लेते हुये अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यों पर आधारित होना, विधिवत बिलानाम भूमि का सदभावी काश्तकार होने से विपक्षी संख्या 1 को आवंटित होना, आवंटन कमेटी का कोरम पूर्ण होना, विपक्षी संख्या 1 का रेकर्डेड खातेदार होना, आवंटन में पूर्णतया विधिक प्रक्रिया का अपनाया जाना अवगत कराया। विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया कि

विपक्षी संख्या 1 द्वारा उक्त आराजी पर आवंटन शर्तों की पूर्णतया पालना करने से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के उपरान्त इस न्यायालय में आवंटन निरस्ती का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये:—

- आर.आर.डी 1993 पृष्ठ 417
- आर.आर.टी 2010(1) पृष्ठ 157
- आर.बी.जे. 2019(26) पृष्ठ 77
- आर.बी.जे. 2014(21) पृष्ठ 685
- आर.आर.टी. 2018(1) पृष्ठ 299
- आर.आर.टी 2011(1) पृष्ठ 270

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र, विपक्षी संख्या 1 के जवाब, तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट, आवंटन पत्रावली, न्यायिक दृष्टान्त आदि का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गम्भीरता से मनन किया। उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर से प्राप्त आवंटन पत्रावली संख्या 302/2002 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रशासन गांवों के संग अभियान में विपक्षी संख्या 1 द्वारा मौजा सुरखण्ड का खेडा की साबिक आराजी संख्या 2096 रकबा 0.1100 हेक्टेयर के आवंटन हेतु आवेदन करने पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट उपरान्त आवंटन कमेटी की राय के आधार पर विपक्षी संख्या 1 के नाम कथित आवंटन किया गया है। पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में भूमि विवादग्रस्त न होना, उद्घोषणा में होने का उल्लेख किया है। आवंटन कमेटी के कोरम पर तहसीलदार, विकास अधिकारी, प्रधान, सरपंच के हस्ताक्षर मौजूद हो अध्यक्ष के रूप में उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर उपलब्ध है। आवंटन उपरान्त विधिवत कब्जा सुपुर्द किया जाना आवंटन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा विपक्षी संख्या 1 का भूमिहीन काश्तकार न होने का उल्लेख किया है, किन्तु वक्त आवंटन विपक्षी संख्या 1 के पास आवंटन नियमों में निर्धारित सीमा से अधिक भूमि उपलब्ध हो अथवा आवंटन नियमानुसार आवंटी भूमिहीन की परिभाषा में न आता हो, ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। विपक्षी संख्या 1 उक्त भूमि पर रेकर्डेड खातेदार है एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के पश्चात् 14(4) की कार्यवाही की जाना न्याय संगत प्रतीत नहीं होती है। आवंटन में कोई मिसरिप्रजेन्टेशन हुआ हो या कोई तथ्य विपक्षी संख्या 1 द्वारा छुपाये गये हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। जहां तक भूमि का सेटलमेंट से पूर्व प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी के खातेदारी में होने, भूमि श्री महादेव चारभुजा जी स्थान देह के नाम होने एवं सेटलमेंट के दौरान बिलानाम होने का उल्लेख प्रार्थीगण द्वारा किया गया है। इस बाबत् प्रार्थीगण द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सराड़ा में विचाराधीन हैं एवं उक्त बिंदु को उक्त

न्यायालय द्वारा ही तय किया जाना है एवं प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि अथवा मंदिर माफी की भूमि किस प्रकार बिलानाम हुई है, इस संबंध में अग्रिम निर्णय सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सराड़ा द्वारा ही तय किया जायेगा। यदि सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सराड़ा द्वारा उक्त वाद स्वीकार कर लिया जाता है तो विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन स्वतः ही खारिज हो जाएगा एवं यदि उक्त वाद सक्षम न्यायालय द्वारा अस्वीकार किया जाता है तो आवंटन स्वतः ही यथावत हो जाएगा।

इस न्यायालय द्वारा मात्र आवंटन प्रक्रिया में कोई त्रुटि हुई हो या कोई मिसरिप्रजेन्टेशन या गलत तरीके से आवंटन किया गया हो, इस बिन्दु को ही तय किया जाना है। वक्त आवंटन भूमि बिलानाम सरकार दर्ज थी एवं भूमि बिलानाम सरकार दर्ज होने से नियमानुसार विपक्षी संख्या 1 को आवंटित हुई है। समग्र विवेचन उपरान्त आवंटन में कोई मिसरिप्रजेन्टेशन होना प्रथम दृष्टया परिलक्षित नहीं होता है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण में चर्चा नहीं होते हैं। इस प्रकार समस्त तथ्यों पर विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4), कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है एवं मौजा सुरखण्ड का खेडा, तहसील सेमारी की साबिक आराजी संख्या 2096 रकबा 0.1100 हेक्टेयर भूमि पर उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर द्वारा मिसल संख्या 302/2002 से विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में किया गया आवंटन यथावत रखा जाता है। उभय पक्षकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सराड़ा में विचाराधीन वाद संख्या 10/2016 में पारित होने वाले निर्णय से पूर्णतया बाध्य रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर